श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास

श्री शांति धारीवाल
माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

राजस्थान आवासन मण्डल

STATE SERVICES RESIDENCY

के बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष-2022

उच्च आय वर्ग के फ्लैट

RERA Reg. No.: RAJ/P/2022/1996
http://rera.rajasthan.gov.in

आवेदन अवधि | 10.06.2022 से 11.07.2022 तक

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।

- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।

- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।

- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।

- मण्डल बिना लाभ–हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बडे पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रुप से मण्डल के मकान सस्ते पडते है।

राजस्थान आवासन मण्डल

सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "STATE SERVICES RESIDENCY" के
बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

1.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र उपलब्ध	: दिनांक 10.06.2022 से
2.	ऑनलाईनआवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	: दिनांक 11.07.2022 तक
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	**अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान	

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 11, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन नं. 0141 – 2790270 मो. नं. :– 9828509370	उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर फोन : 0141 – 2791320 मो. नं. :– 9983993868	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 – 2741950 मो. नं. :– 9828109456

विशेष :–

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैक के माध्यम से / क्रेडिट/डेबिट कार्ड के मार्फत जमा करवाया जा सकता है या चालान प्रिन्ट कर **AU SMALL FINANCE बैंक के खाता संख्या 1000000000000177 आई.एफ.एस.सी. कोड AUBL0002207** में किसी भी बैक से जमा करवा सकते है।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

   आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैं :–

i. आय संबंधी प्रमाण (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।

iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज मे से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।

v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "STATE SERVICES RESIDENCY" के बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लेट्स

योजना की प्रस्तावनाः–

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कडी में राजस्थान आवासन मण्डल की सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय सेवाओं, राज भवन राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायतशाषी संस्थाओं'' के सेवारत अधिकारियों हेतु बहुमंजिलीय आवासीय योजना "स्व वित्त पोषित योजना'' के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें उच्च आय वर्ग के 175 बहुमंजिले फ्लैट्स (उच्च आय वर्ग प्रथम – 24 फ्लेट्स, उच्च आय वर्ग द्वितीय – 60 फ्लेट्स, उच्च आय वर्ग तृतीय – 91 फ्लेट्स) (2B+G+12) हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर login कर आवेदन शुल्क राशि कुल रूपये 354/– (पंजीकरण राशि रूपये 300/– + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि) ऑनलाईन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है। इस योजना में यथासम्भव सभी मूलभूत सुविधाऐ जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, पार्किंग, लिफ्ट, फायर फायटिंग सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, लैण्ड स्केपिंग, बैंक्वेट हाल, जिम, एल.ई.डी. लाईटस्, सुरक्षा गार्ड इत्यादि प्रस्तावित हैं।

इस योजना के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 12537.05 वर्ग मीटर है। जिसमें उच्च आय वर्ग के 175 बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लैट्स (उच्च आय वर्ग प्रथम – 24 फ्लेट्स, उच्च आय वर्ग द्वितीय – 60 फ्लेट्स, उच्च आय वर्ग तृतीय – 91 फ्लेट्स) निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–1

फ्लेट्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अनुमानित लागत (रूपये लाख)
1.	उच्च आय वर्ग–प्रथम	24	3335.00	310.00	109.00
2.	उच्च आय वर्ग–द्वितीय	60	2405.00	223.47	79.00
3.	उच्च आय वर्ग–तृतीय	91	1870.00	173.88	59.00

नोट : (i) फ्लैटों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत बताई गई है जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रतापनगर योजना जयपुर की वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक 30.06.2022 तक निर्धारित भूमि एवं विकास दर पर आधारित है। भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः सीमेन्ट, स्टील तथा अन्य निर्माण सामग्री की बाजार दरों में काफी उतार–चढ़ाव आ रहा है इसके कारण फ्लैट्स की वर्तमान में वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जाना कठिन है। चूँकि मण्डल आवासो/फ्लेट्स का आवंटन "बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत" के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैट आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप / विवाद मान्य नहीं होगा।

(iii) पार्किंग (कवर्ड/ओपन) का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

(iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क पानी, बिजली के खर्चे, स्ट्रीट लाइट, रेन–वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एक मुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर, पृथक से रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त राशि का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख–रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा तथा आवासीय अभियंता द्वारा मीटिंग बुलाकर कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किए जायेगें। संबंधित आवासीय अभियन्ता (कार्यवाहक अध्यक्ष) द्वारा सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख–रखाव के

खर्चे के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए एफ.डी.आर बनवाई जाएगी। आवासीय अभियन्ता द्वारा इस मद में प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख–रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा–जोखा रखा जाएगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1.	एन.आर.आई. कॉलोनी	0.5 कि.मी.
2.	सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र	2.0 कि.मी.
3.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	2.5 कि.मी.
4.	जगतपुरा रेलवे स्टेशन	3.0 कि.मी.
5.	जवाहर सर्किल	5.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

फ्लैटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. यह योजना निम्न लिखित सेवारत अधिकारियों के लिए है :–
   (i) राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय सेवाओं, राज भवन राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायतशाषी संस्थाओं में सेवारत अधिकारीगण।
   (ii) प्रतिनियुक्ति पर अन्य प्रदेश/केडर में सेवारत राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण।
   (iii) राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण जिन्होंने पूर्व में अपनी सेवायें राजस्थान में दी हैं एवं वर्तमान में अन्य प्रदेश/केडर में कार्यरत हैं, भले ही वो राजस्थान के मूल निवासी नही है।
   (इस हेतु फोटो आईडी कार्ड, वेतन स्लिप दस्तावेज लगाना आवश्यक होगा)
2. आवेदन पति/पत्नी एवं आश्रितों के संयुक्त नाम से भी किया जा सकेगा।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
4. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर हैं तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।

तालिका–2

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी–1	**वैतनिक श्रेणी–प्रथम** (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड /निगम के कर्मचारी) **वैतनिक श्रेणी –द्वितीय** (राज्य सरकार के कर्मचारी , अधिकारी)	मण्डल नियमानुसार
2	जी–3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	
3	जी–4	अनुसूचित जाति	
4	जी–5	अनुसूचित जन जाति	
5	जी–9	विकलांग (अधंता /शारीरिक /मूक बधिर	

5. इसयोजना में तालिका–1 में दर्शाए गए फ्लेट्सहेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार हैः–

तालिका–3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (फ्लेट की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	उच्च आय वर्ग प्रथम	रु0 18.00 लाख से अधिक	Rs.1090000+ 5% GST = Rs.1144500/-	Rs 300 + 18% GST = Rs.354.00	Rs 2000 + 18% GST = Rs.2360.00	1147214.00
2.	उच्च आय वर्ग द्वितीय		Rs.790000+ 5% GST = Rs.829500/-	Rs 300 + 18% GST = Rs.354.00	Rs 2000 + 18% GST = Rs.2360.00	832214.00
3.	उच्च आय वर्ग तृतीय		Rs.590000+ 5% GST = Rs.619500/-	Rs 300 + 18% GST= Rs.354.00	Rs 2000 + 18% GST = Rs.2360.00	622214.00

नोट–(i) अनूसूचित जाति /अनूसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते है ।

(ii) वर्तमान सैनिको को निर्धारित पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।

6. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:–

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

(द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त

कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000+ 18 प्रतिशत जी.एस.टी.= रू0 2360/–राशिदेय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाऐगा।

9. इस योजना में राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय सेवाओं, राज भवन राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायतशाषी संस्थाओं'' में सेवारत अधिकारियों को प्रथम वरीयता तथा राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण जिन्होंने पूर्व में अपनी सेवायें राजस्थान में दी हैं एवं वर्तमान में अन्य प्रदेश/केडर में सेवारत अधिकारियों को द्वितीय वरीयता दी जायेगी। कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध फ्लेट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जायेगी। वरीयता निर्धारण के पश्चात् असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

10. इस योजना के अन्तर्गत सभी फ्लेटों का निर्माण ''**स्ववित्त पोषित योजना''**के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों को मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर अनुमानित लागत अनुसार आरक्षण पत्र जारी करते हुए आरक्षण पत्र की निम्नानुसार राशि निर्धारित समयावधि मे जमा करानी होगी।

तालिका–4

क्र.सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार जमा कराने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	उच्च आय वर्ग–प्रथम/द्वितीय/तृतीय बहुमंजिले फ्लैट्स (2B+G+12)	प्रथम किश्त	1 माह	15 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15 %
		पंचम किश्त	13 माह	10 %
		षष्टम किश्त	16 माह	10 %
		सप्तम किश्त	19 माह	10 %

आरक्षण पत्र के अनुसार जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

11. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैटों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।

12. इस योजना के अन्तर्गत फ्लेट्स का निर्माण कार्य ''डिपोजिट कार्य'' की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13. आवेदकों को **तालिका–4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा मण्डल में प्रभावी दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

14. **तालिका–4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।

15. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

16. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन

करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

(v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सीमित होगी।

17. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक भवन, लिफ्ट, फायर फायटिंग, रेनवाटर हार्वेटिंग तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस), परिसर की दीवार, बगीचे, खुले स्थान के रख–रखाव एवं सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डो के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की पंजीकृत रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख–रखाव का सम्पूर्ण खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर–टेकिंग देने पर ही आवंटी को फ्लेट का कब्जा दिया जावेगा।

18. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात फ्लेट्स का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लेट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

19. आवेदकों की वरीयता निर्धारण/फ्लेट्स आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

20. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लेट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लेट पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवंटन पत्र के अनुसार फ्लेट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लेट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लेट का आवंटन व पंजीकरण निरस्त कर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप आवेदक की जमा राशि मे से कटौती करते हुये शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

21. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लेट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका फ्लेट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।

22. मंडल के फ्लेट्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लेट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नही करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लेट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

23. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के आवंटियों की पंजीकृत रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

24. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लेट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

25. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।

26. आवासन मंडल अपनी योजना/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टर के स्थान पर अन्य सेक्टर में फ्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

27. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

28. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

30. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/– (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/– + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/–) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाऐगा।

31. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

32. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से फ्लेट लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

33. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से वांछित दस्तावेजों की एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

34. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।

35. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

36. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. आवेदक द्वारा राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय सेवाओं, राज भवन, राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायतशाषी संस्थान में सेवारत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा वेतन स्लिप दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।

ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii. लॉटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित फ्लैट की अदला–बदली चाहते है तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।

iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

v. फ्लेट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लेट का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर. शहर की सीमा मे ही मान्य होंगे।

vii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

viii. योजना में नियोजन अनुसार सुविधाओं हेतु भवन का निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये समस्त सामान की खरीद व उसके रख–रखाव एवं संचालन तथा आवासीय परिसर की सफाई, रख–रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भांति रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।

ix. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर अवलोकन की जा सकती है।

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु.......... वर्ष, जाति.............................. निवासी .... एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता/करती हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूंगी।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

<u>वेतनमोगी आवेदकों के लिए</u>

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री ....इस विभाग (विभाग का नाम) ....में.. पद पर कार्यरत हैं जो कि पे–मेट्रिक्स लेवल..............................के अन्तर्गत, राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रुपये ....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष

के हस्ताक्षर मय मोहर

विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / ....पुत्र /पुत्री/पत्नि श्री ....निवासी ....जिला .... .संभाग ....राज्य ....जाति ....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति /जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति में है ।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

(1) Structure: RCC frame structure

(2) Walls: Half Brick Masonry in CM 1:4 & Brick masonry walls in CM 1:6

(3) Finishing:

- (I) 6mm thick Ceiling Plaster in CM 1:3
- (II) 12mm thick inner plaster in CM 1:4
- (III) 20mm thick outer plaster in CM 1:4
- (IV) POP- Inner side walls and ceiling of flats
- (V) Emulsion paint on inner surfaces and texture paint on exterior surfaces
- (VI) UPVC windows
- (VII) Nigeria/Ghana/Ivory Coast Teak wood door frames
- (VIII) 30mm thick flush door shutters
- (IX) Wall tiles of size 300x450mm in toilets & Kitchen
- (X) Double charge vitrified tile flooring of size 800 ×800mm/600x600mm in flats as per room size requirement.
- (XI) MAT finished tiles floor in balconies, toilet.
- (XII) Granite/Green Marble- Kitchen Table Counter, Lift face, door sills, common stairs
- (XIII) Kota stone flooring- Fire stairs

4. Stainless steel railing with glass at balcony and stainless steel/ M.S. railing in staircases

5. Sanitary

- (i) Cascade W.C.
- (ii) Counter granite top wash hand basin
- (iii) Jaquar continental series C.P. fittings
- (iv) CPVC pipe fittings

FACILITIES

1. Following features in scheme:-
    i. Badminton Court
    ii. Swimming Pool
    iii. Cafe
    iv. Banquet Hall
    v. Gymnasium
    vi. Yoga Room
    vii. Aerobics Room
    viii. Indoor Sports
2. Lawn
3. Security System in Common Areas
4. Plantation
5. 24 hours water supply

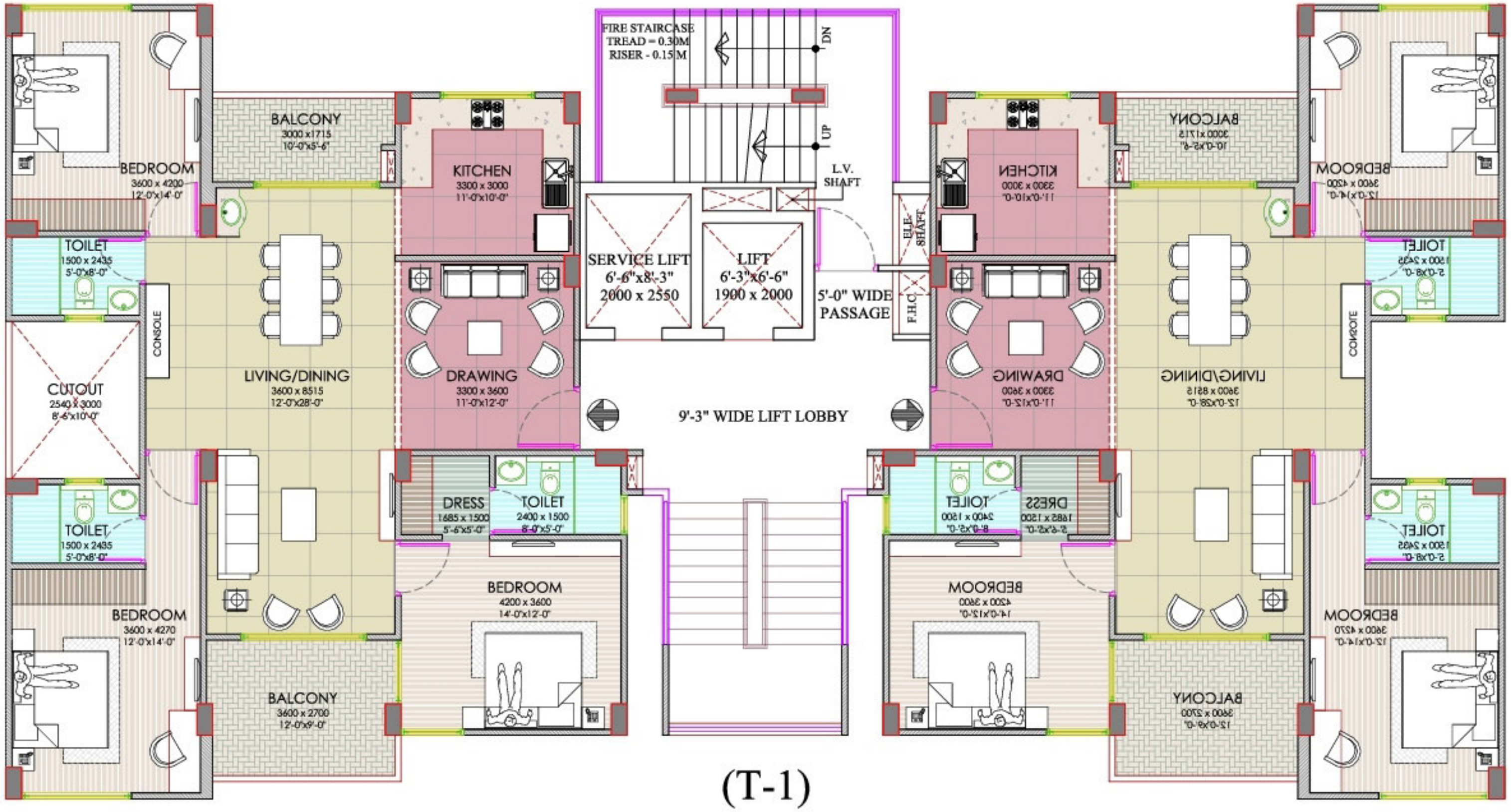

(T-1)

built up area = 146.35 sq.m (1574.72 sq.ft)

super built up area = 173.88 sq.m (1870 sq.ft)

North:	PROJECT :- SS Residency, Sector 19 Pratap Nagar, Jaipur	DRAWING NO. 03	ARCHITECT :- MALHOTRA & ASSOCIATES 2 ND FLOOR C88B NAND KISHORE PAREEKH MARG BAPU NAGAR JAIPUR 302015
Scale: N.T.S.	DRG. TITLE TYPICAL CLUSTER (T1)		OWNER :- RHB

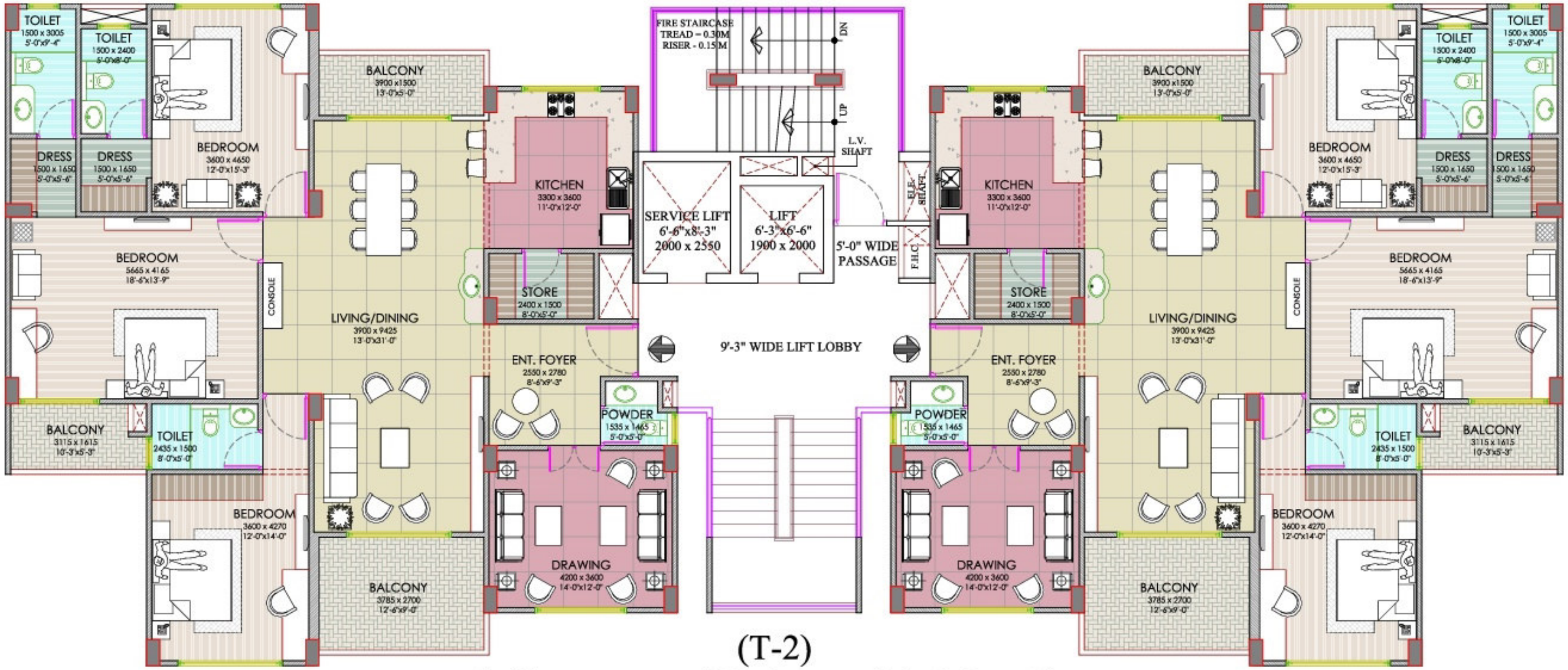

(T-2)

built up area = 192.65 sqm (2073.0 sq.ft)

super built up area = 223.47 sqm (2405 sq.ft)

North:	PROJECT :- SS Residency, Sector 19 Pratap Nagar, Jaipur	DRAWING NO.	ARCHITECT :- MALHOTRA & ASSOCIATES 2 ND FLOOR C88B NAND KISHORE PAREEKH MARG BAPU NAGAR JAIPUR 302015
Scale: N.T.S.	DRG. TITLE TYPICAL CLUSTER (T2)	04	OWNER :- RHB

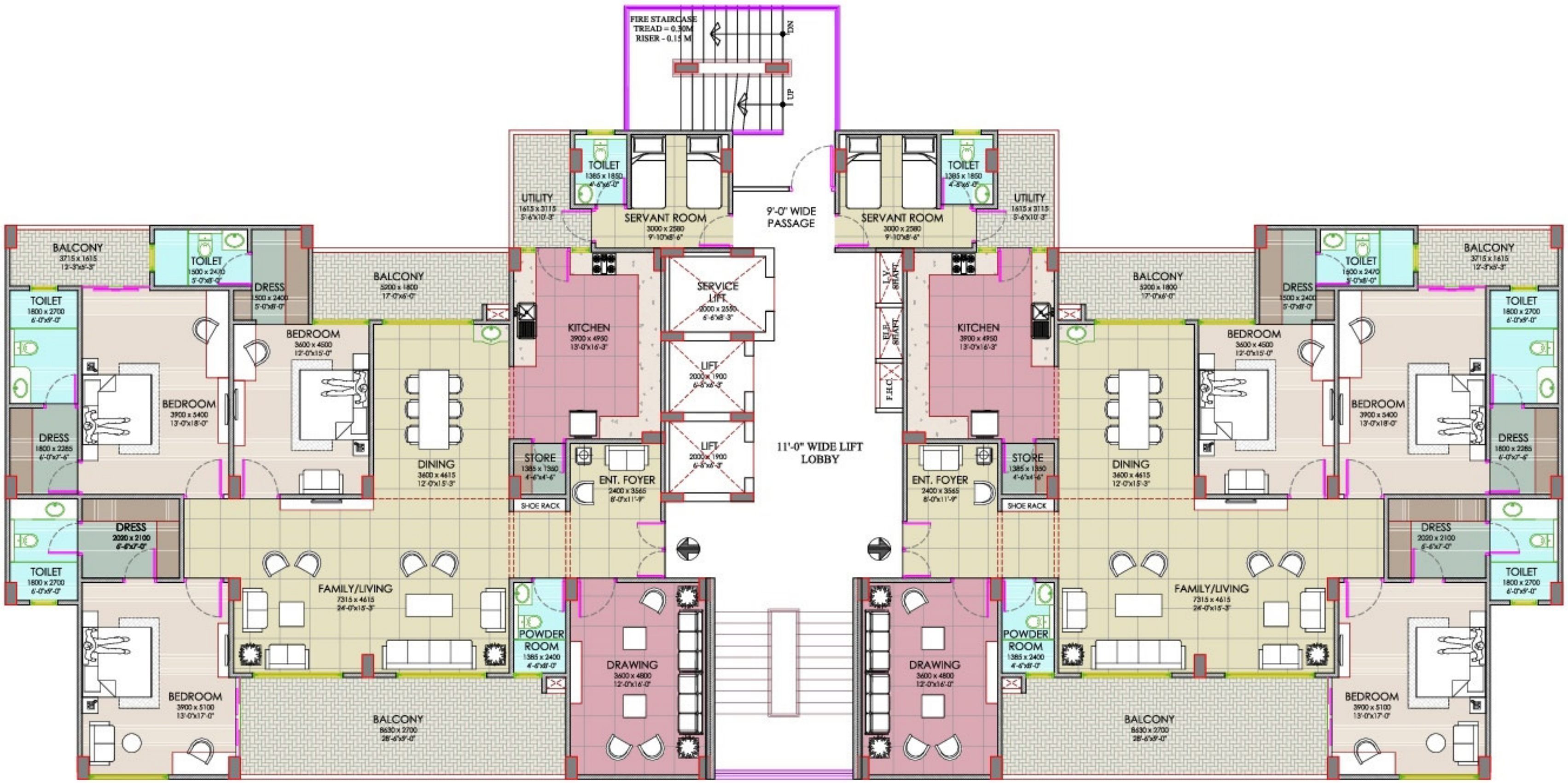

(T-3)

built up area = 267.2 sq. m (2875 sq.ft)

super built up area = 310 sq. m (3335 sq.ft)

North: W S N E	PROJECT :- SS Residency, Sector 19 Pratap Nagar, Jaipur	DRAWING NO.	ARCHITECT :- MALHOTRA & ASSOCIATES 2 ND FLOOR C86B NAND KISHORE PAREEKH MARG BAPU NAGAR JAIPUR 302015
Scale: N.T.S.	DRG. TITLE TYPICAL CLUSTER (T3)	05	OWNER :- RHB

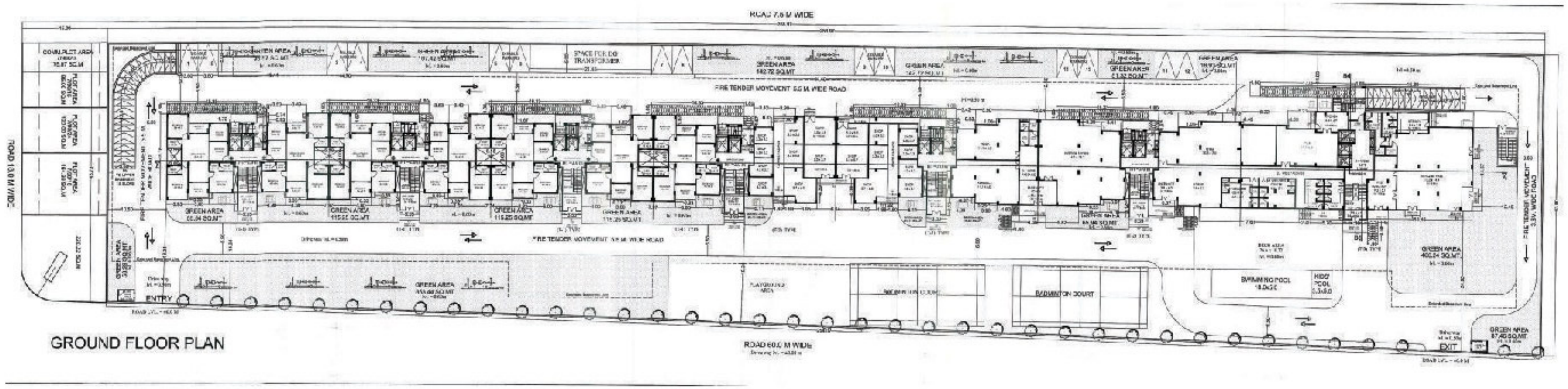

GROUND FLOOR PLAN

RAJASTHAN HOUSING BOARD
PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

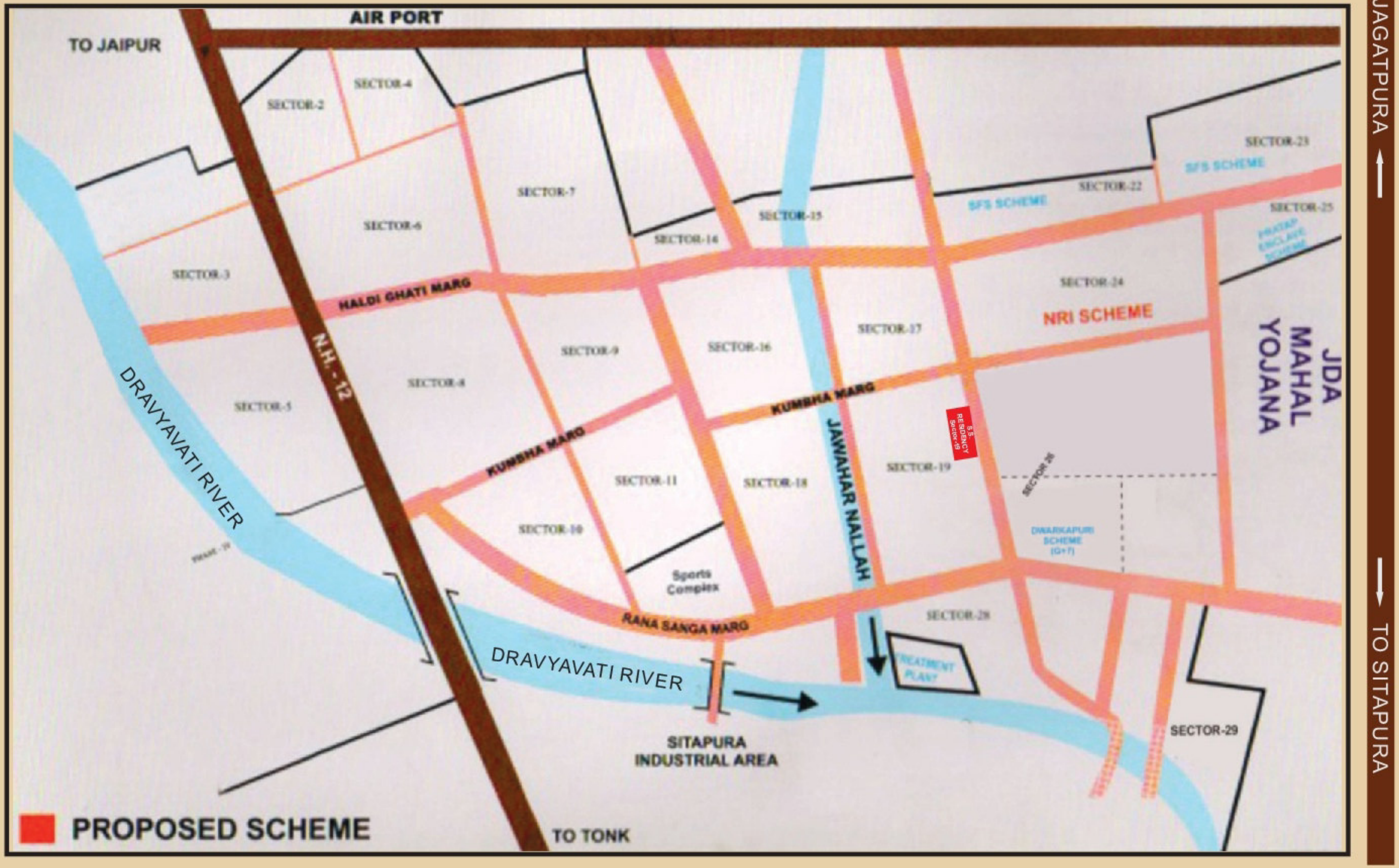

मूल्य : 354/-

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रताप नगर, जयपुर

सेक्टर-19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "STATE SERVICES RESIDENCY" के
बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो राजपत्रित/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित

आवेदन- पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक ....

1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री/श्रीमती..
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	श्री..
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली/ पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज..
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नही करें)	सेवारत (राज्य सरकार के अधिकारी)
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाष नं. ....मोबाईल नं... ई-मेल पता..
8	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. में) (वित्तीय वर्ष 2021-22) पैन नम्बर सहित	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
9	यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत है तो, पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।	
	(क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	(ख) पंजीकरण का वर्ष	
	(ग) वरीयता क्रमांक :	
10	पंजीकरण राशि रू.	उच्च आय वर्ग स्टेट सर्विस रेजिडेंसी
11	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	.... दिनांक............................... रू............................ ....

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रताप नगर, जयपुर

सेक्टर-19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "STATE SERVICES RESIDENCY" के
बहुमंजिले (2B+G+12) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

श्री..से स्टेट सर्विस रेजिडेंसी आवासीय योजना सैक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन-पत्र मय बैंक ड्राफ्ट संख्या............................दिनांक.................. बैंक का नाम. ....शाखा... का प्राप्त किया।

कार्यालय की मोहर — हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

(नोटः उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करे।) — नाम व पदनाम की मोहर सहित

12	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक संलग्न करेगे।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण).. खाता संख्या (सम्पूर्ण).. ...खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):... बैंक/शाखा का पता:............................. .... मोबाइल नम्बर................................... ....
13	आवेदक की श्रेणी
13ए	आवेदक का कैडर
14	संलग्नक :
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) अन्य वाछिंत प्रमापण पत्र/शपथ पत्र।
15	घोषणा :–
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
	2. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उपका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
	4. फ्लेट का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् फ्लेट में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
	5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मै निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:–
	क्र.सं. नाम आयु संबंध

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान...
दिनांक ....

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "STATE SERVICES RESIDENCY" के बहुमंजिले
(2B+G+12) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	**सेक्टर–19, प्रताप नगर योजना, जयुपर**
2.	योजना का नाम	:	**STATE SERVICES RESIDENCY (2B+G+12) के फ्लेट्स**
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:	....
4.	आय वर्ग		
5.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
6.	बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे– ऑर्डर नम्बर दिनांक	:	....
7.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

हमारी खुशी का संसार
हमारा अपना घर

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in I Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb